अनुदान संख्या 42 – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
GRANT No. 42 - DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	47033,65,00	81315,61,00	76257,89,68	-5057,71,32
पूरक	Supplementary	34281,96,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				443,42,59
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3508,81,00	6170,43,00	5301,25,20	-869,17,80
पूरक	Supplementary	2661,62,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				605,48,31

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹505771.32 लाख) दिसम्बर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹3428196.00 लाख के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं:–

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹505771.32 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹3428196.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services				
मू.	O.	12633.00	15000.40	14264.21	-736.19
पु.	R.	2367.40			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	140279.00	165398.00	165127.61	-270.39
पू.	S.	20000.00			
पु.	R.	5119.00			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	1526849.00	2339758.78	2223074.37	-116684.41
पू.	S.	768923.00			
पु.	R.	43986.78			
मुख्य शीर्ष "2211"	Major Head "2211"				
परिवार कल्याण	Family Welfare				
मू.	O.	242999.00	400014.59	245262.97	-154751.62
पू.	S.	156419.00			
पु.	R.	596.59			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	362544.00			
पू.	S.	213377.00	167970.03	..	-167970.03
पु.	R.	-407950.97			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2384461.00			
पू.	S.	1809573.00	4510234.61	4709153.48	+198918.87
पु.	R.	316200.61			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	33279.00			
पू.	S.	26260.00	54877.00	54057.34	-819.66
पु.	R.	-4662.00			
मुख्य शीर्ष "3606"	Major Head "3606"				
सहायता सामग्री और उपस्कर	Aid Materials and Equipments				
पू.	S.	433644.00	433644.00	214564.08	-219079.92

(I) ₹576648.00 लाख का प्रावधान (₹213377.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) 55 शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹576218.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2211" –

(क) "अनुसंधान तथा मूल्यांकन – परिवार कल्याण में प्रौद्योगिकी" – ₹116.00 लाख – उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण।

(ख) "जन शिक्षा – सूचना, शिक्षा तथा संचार–किशोर स्वास्थ्य" – ₹381.00 लाख – आरसीएच पर मीडिया प्रचार के लिए कम आईईसी कार्यकलापों के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "परिवार कल्याण – निदेशन और प्रशासन" –

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹500.00 लाख;

(ii) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹19668.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण – प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" –

(i) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹110417.00 लाख (₹12604 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹3017.00 लाख;

(ग) "परिवार कल्याण – अन्य सेवाएं और पूर्तियां – गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" – ₹197.00 लाख;

(I) Provision of ₹576648.00 lakhs (including supplementary grant of ₹213377.00 lakhs) remained wholly unutilized under 55 heads; of these ₹576218.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2211"-

(a) "Research and Evaluation - Technology in Family Welfare" - ₹116.00 lakhs - due to non-receipt of utilization certificates.

(b) "Mass Education - Information, Education and Communication - Adolescent Health (RCH)" - ₹381.00 lakhs - due to less IEC activities towards media campaign on RCH.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Family Welfare - Direction and Administration" -

(i) "Regional Health Offices" - ₹500.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹19668.00 lakhs;

(b) "Family Welfare - Reproductive and Child Health Programme" -

(i) "NRHM - RCH Flexible Pool" - ₹110417.00 lakhs (including supplementary grant of ₹12604.00 lakhs);

(ii) "Natioanal Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹3017.00 lakhs;

(c) "Family Welfare - Other Services and Supplies - Social Marketing of Contraceptives" - ₹197.00 lakhs;

(घ) "परिवार कल्याण – अन्य व्यय – एनआरएचएम को अग्रिम सम्पर्क" – ₹2618.00 लाख;

(ङ) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना" – ₹1500.00 लाख;

(च) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(i) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" – ₹27000.00 लाख (₹7000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ii) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹22000.00 लाख (₹3000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(iii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" – ₹8000.00 लाख;

(iv) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल" – ₹4200.00 लाख;

(v) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹22471.00 लाख;

(vi) "एम्स सरीखे अति–विशिष्ट अस्पताल–सह–शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन" – ₹13290.00 लाख;

(d) "Family Welfare - Other Expenditure - Forward linkages to NRHM" - ₹2618.00 lakhs;

(e) "Urban Health Services - Allopathy - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries and Hospitals" - ₹1500.00 lakhs;

(f) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(i) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" - ₹27000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹7000.00 lakhs);

(ii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹22000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹3000.00 lakhs);

(iii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur" - ₹8000.00 lakhs;

(iv) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹4200.00 lakhs;

(v) "Human Resources for Health and Medical Education" - ₹22471.00 lakhs;

(vi) "Establishment of AIIMs type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals" - ₹13290.00 lakhs;

(छ) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण"–

(i) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹21540.00 लाख (₹1540.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ii) "संचारी रोगों को लिए लचीला पूल" – ₹31833.00 लाख (₹21263.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(iii) "गैर–संचारी रोगों को लिए लचीला पूल" – ₹7859.00 लाख;

(ज) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय" –

(i) "अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण संबंधी सहायता" – ₹1335.00 लाख;

(ii) "कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिनी रोगों एवं आघात संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" – ₹2081.00 लाख;

(iii) "वृद्धों के स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" – ₹1100.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" – ₹3000.00 लाख;

(झ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹1456.00 लाख;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹11525.00 लाख;

(g) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National AIDS and STD Control Programme" - ₹21540.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1540.00 lakhs) ;

(ii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹31833.00 lakhs (including supplementary grant of ₹21263.00 lakhs);

(iii) "Flexible Pool for Non - Communicable Diseases" - ₹7859.00 lakhs;

(h) "Public Health - Other Expenditure"-

(i) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" -₹1335.00 lakhs;

(ii) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke" - ₹2081.00 lakhs;

(iii) "National Progamme for Health Care for the Elderly" - ₹1100.00 lakhs;

(iv) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) - RSSY" - ₹3000.00 lakhs;

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹1456.00 lakhs;

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹11525.00 lakhs;

(iii) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" – ₹597.00 लाख;

(iv) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय" – ₹361.00 लाख;

(v) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹33272.00 लाख;

(vi) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹297.00 लाख;

(vii) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹957.00 लाख;

(viii) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹2665.00 लाख;

(ix) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹2000.00 लाख;

(ञ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹13564.00 लाख;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹6254.00 लाख;

(iii) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" – ₹322.00 लाख;

(iv) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय" – ₹204.00 लाख;

(v) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹18169.00 लाख;

(vi) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹835.00 लाख;

(iii) "Public Health-Prevention and Control of Diseases" - ₹597.00 lakhs;

(iv) " Public Health - Other Expenditure" - ₹361.00 lakhs;

(v) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹33272.00 lakhs;

(vi) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹297.00 lakhs;

(vii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹957.00 lakhs;

(viii) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - ₹2665.00 lakhs;

(ix) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana - RSSY" - ₹2000.00 lakhs;

(j) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹13564.00 lakhs;

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹6254.00 lakhs;

(iii) "Public Health-Prevention and Control of Diseases" - ₹322.00 lakhs;

(iv) "Public Health - Other Expenditure" - ₹204.00 lakhs;

(v) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹18169.00 lakhs;

(vi) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹835.00 lakhs;

(vii) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹5195.00 लाख;

(viii) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1452.00 लाख; और

(ix) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹5000.00 लाख।

उपर्युक्त अड़तीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ट) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता" – ₹167970.00 लाख – एकीकृत वित्तीय प्रभाग द्वारा स्वीकृतियों का अनुमोदन न किए जाने के कारण।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण – संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1381.00 लाख के मूल प्रावधान का ₹215.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1596.00 लाख कर दिया गया। तथापि, मीडिया प्रचारों को अंतिम रूप देने में विलंब तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹306.32 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" – "प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – एनआरएचएम – आरसीएच लाचीला पूल" के अंतर्गत ₹9893.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹594.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10487.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹5857.95 लाख की बचत (पूरक अनुदान

(vii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹5195.00 lakhs;

(viii) "Flexible Pool for Non - Communicable Diseases" - ₹1452.00 lakhs; and

(ix) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - ₹5000.00 lakhs.

Provisions under the above thirty eight heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(k) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Support from National Investment Fund (NIF)" - ₹167970.00 lakhs - due to non-approval of sanctions by Integrated Finance Division.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2210" - "Public Health - Prevention and Control of Diseases - Flexible Pool for Communicable Diseases" - the original provision of ₹1381.00 lakhs was augmented to ₹1596.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹215.00 lakhs. However, there was a saving of ₹306.32 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in finalization of media campaigns and receipt of less proposals from implementing agencies.

(B) Major Head "2211" - "Reproductive and Child Health Programme - NRHM - RCH Flexible Pool" - the original provision of ₹9893.00 lakhs was augmented to ₹10487.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹594.00 lakhs. However,

सहित) संघ राज्य क्षेत्रों / कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यशालाएं / सेमिनार कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – आरक्षित निधि / जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹656415.00 लाख की निधियाँ अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गई थीं, जो, तथापि, ₹70057.84 लाख की सीमा तक निविदा तथा अधिप्राप्ति कार्यकलापों में विलंब, संकाय की भर्ती तथा सेवाएं शुरू करने के कारण अप्रयुक्त रहीं।

(ख) "लोक सेवाएं" –

(i) "निदेशन और प्रशासन – संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹157466.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹50296.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹207762.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹8093.00 लाख की सीमा तक वैश्विक निधि को कर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "आरक्षित निधि / जमा लेखे को अंतरण" –

(1) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि – स्वास्थ्य" – ₹11482.00 लाख की निधियाँ अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गई थीं, जो,

there was a saving of ₹5857.95 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals from UTs/implementing agencies and conduction of less number of workshops/seminars.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Medical Education, Training and Research - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Fund for Transfer to National Investment Fund (NIF)" - funds of ₹656415.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹70057.84 lakhs - due to delay in tendering and procurement activities, recruitment of faculty and rollout of services.

(b) "Public Health"-

(i) "Direction and Administration - Flexible Pool for Communicable Diseases" - the original provision of ₹157466.00 lakhs was augmented to ₹207762.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹50296.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹8093.00 lakhs - due to non-approval of proposals for tax reimbursement to global fund.

(ii) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account" -

(1) "Fund for transfer to National Investment Fund (NIF) - Health"- funds of ₹11482.00

तथापि, ₹811.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹811.00 lakhs;

(2) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि – एनएचएम" – ₹1766.00 लाख की निधियाँ अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गई थीं, जो, तथापि, ₹1590.36 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(2) "Fund for transfer to National Investment Fund (NIF) - NHM"- funds of ₹1766.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹1590.36 lakhs;

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" –

(B) Major Head "2211"-

(क) "निदेशन और प्रशासन – एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹140000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹140000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹280000.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹139476.41 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(a) "Direction and Administration - NRHM - RCH Flexible Pool" - the original provision of ₹140000.00 lakhs was augmented to ₹280000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹140000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹139476.41 lakhs; and

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता" – ₹15825.00 लाख की निधियाँ अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गई थीं, जो, तथापि, ₹5472.90 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Support from National Investment Fund (NIF)" - funds of ₹15825.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹5472.90 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें निविदा तथा अधिप्राप्ति कार्यकलापों में विलंब, फैकल्टी की भर्ती तथा सेवाएं शुरू करने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to delay in tendering and procurement activities, recruitment of faculty and rollout of services.

(गा) मुख्य शीर्ष "3606" – "यूनीसेफ से सहायता – राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता" – ₹433644.00 लाख की निधियाँ अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैय्या कराई गईं थीं जो, तथापि ₹219079.92 लाख की सीमा तक निविदा तथा

(C) Major Head "3606" - "Assistance from UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication"- funds of ₹433644.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of

अधिप्राप्ति कार्यकलापों में विलंब के कारण स्कीम के कार्य को मूर्तरूप न दिए जाने की वजह से अप्रयुक्त रहीं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — एलोपैथी" —

(क) "निदेशन और प्रशासन — स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय" — ₹926.34 लाख की बचत (₹6016.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और नवीनीकरण कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलनों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना — औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" — ₹3871.07 लाख की बचत (₹118795.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब तथा जीईएम अधिप्राप्ति में तकनीकी मुद्दों के कारण हुई।

(ग) "चिकित्सा भंडार डिपो" —

(i) "डिपो" — ₹247.63 लाख की बचत (₹5682.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लघु कार्य के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) "भारत तथा विदेश में सामग्रियों की खरीद" — ₹3518.79 लाख की बचत (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

₹219079.92 lakhs - due to non- materialization of work of the scheme owing to delay in tendering and procurement activities.

(IV) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy"-

(a) "Direction and Administration - Directorate General of Health Services" - saving of ₹926.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6016.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of estimates from Central Public Works Department for renovation works.

(b) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals"- saving of ₹3871.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹118795.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in finalisation of 7th Central Pay Commission allowances and technical issues in GeM procurement.

(c) "Medical Stores Depots"-

(i) "Depots" - saving of ₹247.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5682.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for minor works by Central Public Works Department.

(ii) "Purchase of Materials in India and Abroad" - saving of ₹3518.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement proposals.

(घ) "अस्पताल और औषधालय" –

(i) "केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, राँची" – ₹107.79 लाख की बचत (₹7430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ii) "अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा तथा पुनर्वास संस्थान, मुम्बई" – ₹223.79 लाख की बचत (₹2324.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(iii) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹10679.93 लाख की बचत (₹89126.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹626.55 लाख की बचत (₹9728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को भरे न जाने और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुईं।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(क) "एलोपैथी" –

(i) "वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान" – ₹359.65 लाख की बचत (₹6238.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(d) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of ₹107.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7430.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai"- saving of ₹223.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2324.00 lakhs) was due to non-procurement of motor vehicles.

(iii) "Safdarjung Hospital, New Delhi"- saving of ₹10679.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹89126.00 lakhs); and

(iv) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - saving of ₹626.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9728.00 lakhs)

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Allopathy"-

(i) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute Delhi University, Delhi"- saving of ₹359.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6238.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years.

(ii) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल" – ₹3576.60 लाख की बचत (₹38209.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब तथा बिजली के विवादित बिलों का समाधान न होने के कारण हुई।

(iii) "अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर" – ₹4190.71 लाख की बचत (₹12802.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब तथा तकनीकी उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(iv) "क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी" – ₹8335.00 लाख की बचत (₹103463.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(v) "एम्स सरीखे अति विशिष्ट अस्पतालों – सह – शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन" – ₹29728.48 लाख की बचत (₹122210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संकाय की भर्ती में विलंब होने के कारण तथा सेवाएं शुरू करने एवं निविदा तथा अधिप्राप्ति कार्यकलापों में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" - saving of ₹3576.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38209.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission and non-settlement of disputed electricity bills.

(iii) "Grants to All India Institute of Speech and Hearing, Mysore" - saving of ₹4190.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12802.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission and non-procurement of technical equipments.

(iv) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry" - saving of ₹8335.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103463.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in finalization of allowances of 7th central pay commission and availability of unspent balances of previous years.

(v) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospital-cum Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" - saving of ₹29728.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹122210.00 lakhs) was due to delay in recruitment of faculty and rollout of services and delay in tendering and procurement activities.

(ख) "अन्य व्यय – स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री की स्थापना" – ₹300.00 लाख की बचत (₹303.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण स्टेम सेल रजिस्ट्री की स्थापना में विलंब होने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Establishment of Stem Cell Donor Registry" - saving of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹303.00 lakhs) was due to delay in setting up of stem cell registry owing to non-finalisation of detailed report.

(गा) "लोक स्वास्थ्य" –

(C) "Public Health" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction and Administration" -

(i) "विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना" – ₹1857.58 लाख की बचत (₹4969.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब, कम दावों की प्राप्ति तथा नई इकाईयों की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(i) "Port Health Establishment including Airport Organisation" - saving of ₹1857.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4969.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission, receipt of less claims and non-establishment of new units.

(ii) "एनआरएचएम–आरसीएच लचीला पूल" – ₹1496.65 लाख की बचत (₹2054.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मीडिया प्रचार को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(ii) "NRHM-RCH Flexible Pool" - saving of ₹1496.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2054.00 lakhs) was due to delay in finalization of media campaign .

(ख) "प्रशिक्षण" –

(b) "Training"-

(i) "केंद्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू" – ₹195.83 लाख की बचत (₹1753.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कार्यालय उपकरणों की खरीद में विलंब के कारण हुई।

(i) "Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu" - saving of ₹195.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1753.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in procurement of office equipments.

(ii) "क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का" – ₹119.63 लाख की बचत (₹435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ii) "Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska" - saving of ₹119.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹435.00 lakhs) was due to

कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(iii) "क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर" – ₹157.07 लाख की बचत (₹623.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब तथा कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(iv) "क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर" – ₹140.94 लाख की बचत (₹583.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली" – ₹710.00 लाख की बचत (₹5554.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने तथा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हुईं।

(ii) "राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹427.40 लाख की बचत (₹1456.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" – ₹1949.89 लाख की बचत

conduction of less number of workshops/training programmes.

(iii) "Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur" - saving of ₹157.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹623.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission and conduction of less number of workshops/training programmes.

(iv) "Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur" - saving of ₹140.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹583.00 lakhs); and

(c) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi" - saving of ₹710.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5554.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission.

(ii) "National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke" - saving of ₹427.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1456.00 lakhs) was due to non-conduction of conferences/ workshops.

(iii) "National Programme for Health Care for the Elderly" - saving of ₹1949.89

(₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1477.25 लाख की बचत (₹3628.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(v) "टेलीमेडीसिन" – ₹1008.65 लाख की बचत (₹3990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने तथा राष्ट्रीय मेडिकल कालेज नेटवर्क के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(vi) "अभिघात केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता" – ₹845.70 लाख की बचत (₹1150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, कर्मचारियों की भर्ती न होने, सम्मेलन/प्रशिक्षण आयोजित न किए जाने तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रस्तुत आडियो–विजुअल के अनुमोदन में विलंब के कारण हुई।

(घ) "औषध नियंत्रण – केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" – ₹3328.54 लाख की बचत (₹12823.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, जनशक्ति के आउटसोर्सिंग में

lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments/implementing agencies.

(iv) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - saving of ₹1477.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3628.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from the State Governments/implementing agencies.

(v) "Telemedicine" - saving of ₹1008.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3990.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments/ implementing agencies, availability of unspent balances of previous years and delay in finalisation of tender for National Medical College Network.

(vi) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres"- saving of ₹845.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from UTs, non-recruitment of staff, non-conduction of conferences/training and delay in approval of audio -visual submitted by Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(d) "Drug Control - Central Drugs Standards Control Orgainisation" - saving of ₹3328.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12823.00 lakhs) was due to non-filling up

विलंब और कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ङ) "सेरा/वैक्सीन का निर्माण" –

(i) "बी.सी.जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुईंडी, चेन्नई" – ₹389.36 लाख की बचत (₹1857.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, बैठकें/काफ्रेंस/प्रशिक्षण कम संख्या में आयोजित किए जाने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर को अनुदान" – ₹150.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(च) "लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं" –

(i) "सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता" – ₹123.70 लाख की बचत (₹712.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(ii) "केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" – ₹1272.08 लाख की बचत (₹5657.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

of vacant posts, delay in outsourcing of manpower and receipt of less medical claims.

(e) "Manufacture of Sera/Vaccine" -

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹389.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1857.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, conduction of less number of meetings/conferences/ trainings and non-execution of works by Central Public Works Department.

(ii) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs); and

(f) "Public Health Laboratories" -

(i) "Institute of serology, Kolkata" - saving of ₹123.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹712.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹1272.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5657.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(iii) "राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (उ.प्र.)" – ₹121.00 लाख की बचत (₹3942.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशाला उपकरणों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को मूर्तरूप न दिए जाने तथा अनुसंधान और विकास कार्यकलाप न किए जाने के कारण हुई।

(छ) "लोक स्वास्थ्य शिक्षा" –

(i) "अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता" – ₹906.55 लाख की बचत (₹3704.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(ii) "शिशु देखभाल प्रशिक्षण केंद्र, सिंगूर" – ₹433.56 लाख की बचत (₹2658.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो से इंडेंट की गई दवाईयों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ज) "लोक स्वास्थ्य प्रचार – केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली" – ₹187.24 लाख की बचत (₹678.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और जीईएम तकनीकी सूक्ष्मताओं के कारण कार्यालय के उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(झ) "अन्य व्यय" –

(i) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन" – ₹350.63 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन

(iii) "National Institute of Biologicals, Noida (U.P.)" - saving of ₹121.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3942.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals towards procurement of laboratory equipments and non-taking up of Research and Development activities.

(g) "Public Health Education"-

(i) "All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata" - saving of ₹906.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3704.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission.

(ii) "Child Care Training Centre, Singur" - saving of ₹433.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2658.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of indented medicines from Government Medical Store Depot.

(h) "Public Health Publicity - Central Health Education Bureau, New Delhi" - saving of ₹187.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹678.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-procurement of office equipment owing to GeM technicalities.

(i) "Other Expenditure" -

(i) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" - saving of ₹350.63 lakhs (against the sanctioned

एजेंसियों के बीच समझौते ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-finalization of memorandum of understanding with the executing agencies.

(ii) "केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल" – ₹436.77 लाख की बचत (₹646.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए आडियो–विजुअल प्रसारण न किए जाने तथा कार्य का कार्यान्वयन न होने के कारण एचएससीसी को परामर्शदात्री प्रभारों की अदायगी न होने के कारण हुई।

(ii) "New Initiatives under Central Scheme" - saving of ₹436.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹646.00 lakhs) was due to non-telecast of audio-visual spot through Electronic media and non-payment of consulting charges to HSCC owing to non-implementation of work.

(iii) "अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रायोगिक)" – ₹415.00 लाख की बचत (₹2546.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्तों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हुई।

(iii) "Other Health Schemes (Pilot)" - saving of ₹415.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2546.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in finalization of allowances of 7th Central Pay Commission.

(iv) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसबीवाई" – ₹22430.80 लाख की बचत (₹22500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के लिए आईटी अवसंरचना हेतु कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(iv) "Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) - RSSY"- saving of ₹22430.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from UTs/implementing agencies and requirement of less funds towards IT infrastructure for proposed National Health Protection Scheme.

(घा) "सामान्य – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए सदस्यता" – ₹222.24 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी दौरों की संख्या/अंशदान में कमी होने के कारण हुई।

(D) "General - International Co-operation - Membership for International Organisation" - saving of ₹222.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to decrease in number of foreign visits/ contribution.

(V) मुख्य शीर्ष "2211" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head "2211" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(A) "Direction and Administration"-

(क) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹595.99 लाख की बचत (₹4844.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, संविदागत कर्मचारियों को भाड़े पर न लिए जाने, मोटर वाहनों की खरीद न किए जाने तथा कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(a) "Regional Health Offices" - saving of ₹595.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4844.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-hiring of contractual staff, non-purchase of motor vehicles and receipt of less medical claims.

(ख) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹690.12 लाख की बचत (₹1356.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) "Infrastructure Maintenance" - saving of ₹690.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1356.00 lakhs); and

(ग) "अवसंरचना अनुरक्षण – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र" – ₹458.29 लाख की बचत (₹2880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(c) "Infrastructure Maintenance - UTs without legislature" - saving of ₹458.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2880.00 lakhs)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, कम जनशक्ति की तैनाती, प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलनों की संख्या में कमी और कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, engagement of less manpower, decrease in number of training programme/conferences and receipt of less proposals from implementing agencies.

(घ) "एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण" – ₹1056.82 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(d) "Strengthening National Programme Management of the NRHM" - saving of ₹1056.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs); and

(खा) "प्रशिक्षण" –

(B) "Training"-

(क) "परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई" – ₹183.75 लाख की बचत (₹697.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) "Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" - saving of ₹183.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹697.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और 7वें केंद्रीय वेतन के अनुसार भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and delay in finalisation of allowances as per 7th Central Pay Commission.

(ख) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली" – ₹133.00 लाख की बचत (₹5830.00

(b) "National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi" - saving of ₹133.00

लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन में विलंब के कारण हुई।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹5830.00 lakhs) was due to delay in implementation of 7th Central Pay Commission.

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई" – ₹647.56 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में कार्यशालाएं/सेमिनारों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(c) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹647.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to conduction of less number of workshops/seminars.

(घ) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़" – ₹262.81 लाख की बचत (₹1974.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, यात्रा भत्ता दावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यशालाएं/सेमिनारों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(d) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" - saving of ₹262.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1974.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of travelling allowance claims and conduction of less number of workshop/ seminars.

(गा) "अनुसंधान तथा मूल्यांकन – प्रबंधन सूचना प्रणाली" – ₹585.50 लाख की बचत (₹2142.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संकाय आवश्यकता तथा सेवाएं शुरू करने में विलंब, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न किए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Research and Evaluation - Management Information System" - saving of ₹585.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2142.00 lakhs) was due to delay in faculty requirement and rollout of services, non-receipt of utilization certificates and non-receipt of proposals from implementing agencies.

(घा) "जनशिक्षा" –

(D) "Mass Education" -

(क) "मुख्यालयों में कार्यकलाप" – ₹684.39 लाख की बचत (₹2114.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और 7वें केंद्रीय वेतन के अनुसार भत्तों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(a) "Activities at Headquarters" - saving of ₹684.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2114.80 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in finalisation of allowances as per 7th Central Pay Commission.

(ख) "मास मेलिंग स्कीम" – ₹1067.14 लाख की बचत (₹1097.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरसीएच पर मीडिया प्रचार के लिए कम आईईसी कार्यकलाप होने, एमएमयू की पुनर्संरचना को अंतिम रूप न दिए जाने तथा संचार के परम्परागत

(b) "Mass Mailing scheme" - saving of ₹1067.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1097.50 lakhs) was due to less IEC activities towards media campaign on RCH, non-finalisation of restructuring of MMU and reduction of printing work owing

रूप से डिजिटल प्लेटफार्म को अपनाने के कारण मुद्रण कार्य में कमी के कारण हुई।

(ग) "सूचना, शिक्षा तथा संचार – आरसीएच परियोजना" – ₹9839.06 लाख की बचत (₹27156.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने तथा आरसीएच पर मीडिया प्रचार के लिए कम आईईसी कार्यकलाप होने के कारण हुई।

(घ) "सूचना, शिक्षा तथा संचार पर पीएनडीटी अधिनियम" – ₹127.43 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय अधीक्षण की कम बैठकें होने, यात्रा भत्ता दावों को प्रस्तुत न किए जाने तथा आरसीएच पर मीडिया प्रचार के लिए कम आईईसी कार्यकलाप होने के कारण हुई।

(ङ) "सूचना तथा प्रसार मंत्रालय की मीडिया यूनिटों के जरिए व्यय" – ₹513.94 लाख की बचत (₹560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरसीएच पर मीडिया प्रचार के लिए कम आईईसी कार्यकलाप होने के कारण हुई।

(ङ) "प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹137.00 लाख की बचत (₹226.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यशालाओं/सेमिनारों के कम संख्या में आयोजन के कारण हुई।

(चा) "अन्य सेवाएं तथा पूर्तियाँ – एफपी सामग्री की मुफ्त आपूर्ति" – ₹300.21 लाख की बचत (₹14900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य मंत्रालयों द्वारा परिवार नियोजन सामग्री/गर्भ निरोधकों की कम माँग तथा विशेषज्ञों द्वारा कम दौरों के कारण हुई।

(छा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान" – ₹117.30 लाख की बचत (₹500.00 लाख के

to shifting from traditional form of communication to digital platform.

(c) "Information, Education and Communication - RCH Project"- saving of ₹9839.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27156.70 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and less IEC activities towards media campaign on RCH.

(d) "Information, Education and Communication on PNDT Act" - saving of ₹127.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to less meetings of Central Supervising Board, non-submission of travelling allowance claims and less IEC activities towards media campaign on RCH.

(e) "Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting" - saving of ₹513.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹560.00 lakhs) was due to less IEC activities towards media campaign on RCH.

(E) "Reproductive and Child Health Programme - National Urban Health Mission - Flexible Pool" - saving of ₹137.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹226.00 lakhs) was due to conduction of less number of workshops/seminars.

(F) "Other Services and Supplies - Free Supply of FP Material" - saving of ₹300.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14900.00 lakhs) was due to low demand of the Family Planning material/ contraceptives by other Ministries and less visit by experts.

(G) "International Co-operation - Contribution to International Organisation" - saving of ₹117.30

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा यूएन निकायों को अंशदान के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "अन्य स्वास्थ्य प्रणाली (प्रायोगिक)" – ₹1226.81 लाख की बचत (₹1424.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹9428.53 लाख की बचत (₹41360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹10883.85 लाख की बचत (₹17900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹1885.12 लाख की बचत (₹9896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-approval of proposals towards contribution to UN bodies by Integrated Finance Division.

(VI) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share"-

(i) "Other Health System (Pilot)" - saving of ₹1226.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1424.00 lakhs) was due to receipt of less proposal from the State Governments/ implementing agencies.

(ii) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - saving of ₹9428.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41360.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments/implementing agencies and low absorption of funds by States of North Eastern Region.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)-RSSY" - saving of ₹10883.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17900.00 lakhs);

(ii) "Tertiary Care Programme/Schemes"- saving of ₹1885.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9896.00 lakhs); and

(खा) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – गरीबों को अस्पताल में भर्ती पर व्यय के लिए सहायता" – ₹450.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹5476.04 लाख की बचत (₹20475.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता होने तथा कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीम" – ₹1428.60 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ग) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹224.00 लाख की बचत (₹1299.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹664.40 लाख की बचत (₹740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(B) "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Assistance towards expenditure on Hospitalisation of the Poor"- saving of ₹450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from the State Governments/implementing agencies.

(VII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share"-

(a) "National Rural Health Mission" - saving of ₹5476.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20475.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments and receipt of less proposals.

(b) "Tertiary Care Programme/Scheme" - saving of ₹1428.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to availibity of unspent balances with UTs.

(c) "FW - Infrastructure Maintenance" - saving of ₹224.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1299.00 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹664.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹740.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from UTs/implementing agencies.

(VIII) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹580.57 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक थीं।

2. (I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से अधिक व्यय द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रयुक्त हुईंः—

(का) मुख्य शीर्ष "2251" — "सचिवालय — स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" — ₹1632.21 लाख का अधिक व्यय (₹12632.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने और किराया तथा स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2071" — "सिविल — सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सीय उपचार — केंद्रीय सरकार पेंशनभोगी" — ₹4848.61 लाख का अधिक व्यय (₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹160279.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीजीएचएस पेंशनभोगियों को अस्पताल में भर्ती करने के बिलों का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2210" —

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — एलोपैथी" —

(i) "अस्पताल और औषधालय — डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" — ₹477.04 लाख का अधिक व्यय (₹45856.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औषध, दवाईयों तथा अन्य उपभोज्यों की अधिप्राप्ति, किराया तथा जनशक्ति की आउटसोर्सिंग के कारण हुआ।

(ii) "अन्य व्यय — सरकारी अस्पतालों/कायाकल्प स्कीम के अंतर्गत संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाना" — ₹290.00 लाख का अधिक व्यय (₹1160.00 लाख के स्वीकृत

(VIII) Under seven heads savings of ₹580.57 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 88 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Health and Family Welfare" - excess of ₹1632.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12632.00 lakhs) was due to implementation of 7th Central Pay Commission recommendations and requirement of additional funds towards rentals and establishment related expenses.

(B) Major Head "2071" - "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" - excess of ₹4848.61 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹160279.00 lakhs including supplementary grant of ₹20000.00 lakhs) was due to clearance of bills towards hospitalisation of CGHS Pensioners.

(C) Major Head "2210"-

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Hospitals and Dispensaries - Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi"- excess of ₹477.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45856.00 lakhs) was due to procurement of drugs, medicines and other consumables, rentals and outsourcing of manpower.

(ii) "Other Expenditure - Award of Prizes to Government Hospitals/Institutions under Kaya Kalp Scheme" - excess of ₹290.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1160.00 lakhs) was due

प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत अधिक पुरस्कार दिए जाने के कारण हुआ।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" –

(i) "एलोपैथी" –

(1) "अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹21886.00 लाख का अधिक व्यय (₹34814.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹274814.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(2) "लाला राम सरूप क्षयरोग एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली" – ₹920.00 लाख का अधिक व्यय (₹7100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किए जाने तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(3) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका तंत्र–विज्ञान, बेंगलौर को अनुदान" – ₹2846.00 लाख का अधिक व्यय (₹35094.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(4) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" – ₹3276.00 लाख का अधिक व्यय (₹113960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

to awarding of more prizes under the scheme.

(b) "Medical Education Training and Research"-

(i) "Allopathy"-

(1) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - excess of ₹21886.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹274814.00 lakhs including supplementary grant of ₹34814.00 lakhs); and

(2) "Lala Ram Sarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi" - excess of ₹920.00 lakhs (against the sanctioned provision of₹7100.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to implementation of 7th Central Pay Commission recommendations and requirement of additional funds towards acquiring of capital assets.

(3) "Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bangalore" - excess of ₹2846.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35094.00 lakhs); and

(4) "Grants to Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - excess of ₹3276.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113960.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किए जाने के कारण हुआ।

(5) "डॉ. आर.एम.एल. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹525.25 लाख का अधिक व्यय (₹3831.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकाया, पानी तथा बिजली/टेलीफोन प्रभारों तथा सेवाओं पर भाड़े पर लेने के लिए भुगतान करने हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(6) "इंदिरा गाँधी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग को अनुदान" – ₹33500.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(7) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹30983.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(8) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" – ₹4781.82 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

(9) "पराचिकित्सा तथा नर्सिंग विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, आइजॉल" – ₹2525.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to implementation of 7th Central Pay Commission recommendations.

(5) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" - excess of ₹525.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3831.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of arrears, water/ electricity/ telephone charges and hiring of services.

(6) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" - excess of ₹33500.00 lakhs (against nil provision);

(7) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - excess of ₹30983.00 lakhs (against nil provision);

(8) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur" - excess of ₹4781.82 lakhs (against nil provision); and

(9) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS) Aizawl" - excess of ₹2525.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "अन्य व्यय – अनुसंधान नवाचार तथा प्रौद्योगिकी (इम्प्रिंट) स्कीम (नई) को प्रभावित करना" – ₹168.00 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ग) "लोक स्वास्थ्य" –

(i) "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय क्षय रोग प्रशिक्षण संस्थान, बेंगलुरू" – ₹134.07 लाख का अधिक व्यय (₹1120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के कारण हुआ।

(ii) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(1) "राष्ट्रीय औषध व्यसन मुक्ति कार्यक्रम" – ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं अन्य प्रतिष्ठान से संबंधित व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(2) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹6160.74 लाख का अधिक व्यय (₹13891.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹193741.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा आपूर्तियों की अधिप्राप्ति, सेवाओं एवं आईसी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के कारण हुआ।

(ii) "Other Expenditure - Impacting Research Innovation and Technology (Imprint) Scheme (New)" - excess of ₹168.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and other establishment related expenses.

(c) "Public Health" -

(i) "Training - National T.B. Training Institute, Bangaluru" - excess of ₹134.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1120.00 lakhs) was due to conduction of more number of training programmes.

(ii) "Prevention and Control of Diseases"-

(1) "National Drugs De-addiction Programme"- excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and other establishment related expenses.

(2) "National AIDS and STD Control Programme" - excess of ₹6160.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹193741.00 lakhs including supplementary grant of ₹13891.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and procurement of supplies, outsourcing of services and IEC activities.

(3) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹907.69 लाख का अधिक व्यय (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तंबाकू उत्पादों के विरोध के लिए मीडिया प्रचार के वास्ते कम निधियों की आवश्यकता तथा राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(3) "National Mental Health Programme" - excess of ₹907.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards media campaign for anti tobacco products and receipt of more proposals from State Governments/ implementing agencies.

(iii) "खाद्य समानों में मिलावट की रोकथाम – भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण" – ₹4486.00 लाख का अधिक व्यय (₹13358.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सांविधिक/स्वायत्त निकायों द्वारा परिसम्पत्तियों के निर्माण के कारण हुआ।

(iii) "Prevention of Food Adulteration - Food Safety and Standards Authority of India" - excess of ₹4486.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13358.00 lakhs) was due to creation of assets by Statutory/autonomous bodies.

(iv) "अन्य व्यय" –

(1) "राष्ट्रीय अरोग्य निधि" – ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(2) "आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं" – ₹799.98 लाख का अधिक व्यय (₹585.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(iv) "Other Expenditure" -

(1) "Rashtriya Arogya Nidhi" - excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs); and

(2) "Emergency Medical Services" - excess of ₹799.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹585.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards salaries.

(घ) "सामान्य – स्वास्थ्य सांख्यिकी तथा मूल्यांकन – स्वास्थ्य सूचना तथा मानीटरी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹812.92 लाख का अधिक व्यय (₹197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपूर्तियों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा आईसी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग के कारण हुआ।

(d) "General - Health Statistics and Evaluation - Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" - excess of ₹812.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹197.00 lakhs) was due to procurement of supplies, outsourcing of services and IEC activities.

(घा) मुख्य शीर्ष "2211"

(क) "अनुसंधान तथा विकास – जनसांख्यिकीय तथा अन्य संचार अनुसंधान" – ₹144.01 लाख का अधिक व्यय (₹1393.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियाँ – गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन" – ₹12185.55 लाख का अधिक व्यय (₹11752.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपूर्तियों की अधिप्राप्ति, सेवाओं की आउटसोर्सिंग तथा लघु कार्यों और वृत्तिका के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ग) "अन्य व्यय – एनआरएचएम को अग्रेषण संपर्क" – ₹2618.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ङ) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(i) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹19585.31 लाख का अधिक व्यय (₹358625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹1271.69 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iii) "स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹22471.00 लाख का अधिक व्यय (₹247532.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(D) Major Head "2211"-

(a) "Research and Evolution - Demographic and Other Communication Research" - excess of ₹144.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1393.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and other establishment release expenses.

(b) "Other Services and Supplies-Social Marketing of Contraceptives" - excess of ₹12185.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11752.00 lakhs) was due to procurement of supplies, outsourcing of services and requirement of additional funds towards minor works and stipend.

(c) "Other Expenditure - Forward Linkages to NRHM" - excess of ₹2618.00 lakhs (against nil provision);

(E) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance"- excess of ₹19585.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹358625.00 lakhs);

(ii) "National Urban Health Mission" - excess of ₹1271.69 lakhs (against nil provision); and

(iii) "Human Resources for Health and Medical Education" - excess of ₹22471.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹247532.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(iv) “राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन” – ₹146072.14 लाख का अधिक व्यय (₹35613.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹871694.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(v) “तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें” – ₹3409.68 लाख का अधिक व्यय (₹34436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) “बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन” – ₹30120.47 लाख का अधिक व्यय (₹303008.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹398722.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(i) “परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण” – ₹1441.08 लाख का अधिक व्यय (₹107277.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilitsation on projects/ schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(iv) “National Rural Health Mission”- excess of ₹146072.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹871694.00 lakhs including supplementary grant of ₹35613.00 lakhs); and

(v) “Tertiary Care Programme/Schemes”- excess of ₹3409.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34436.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilitsation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from State Governments/implementing agencies.

(b) “Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Health Mission” - excess of ₹30120.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹398722.00 lakhs including supplementary grant of ₹303008.00 lakhs);

(c) “Special Component plan for Scheduled Castes”-

(i) “Family welfare - Infrastructure Maintenance” - excess of ₹1441.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107277.00 lakhs); and

(ii) "स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹11525.00 लाख का अधिक व्यय (₹71427.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹50831.10 लाख का अधिक व्यय (₹276651.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹29816.01 लाख का अधिक व्यय (₹145744.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹13394.29 लाख का अधिक व्यय (₹45387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹632.71 लाख का अधिक व्यय (₹1580.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "Human Resource for Health and Medical Education" - excess of ₹11525.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71427.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(iii) "National Rural Health Mission"- excess of ₹50831.10 lakhs (against sanctioned provision of ₹276651.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan"-

(i) "National Rural Health Mission"- excess of ₹29816.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹145744.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ Schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from State Governments/implementing agencies.

(ii) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance"- excess of ₹13394.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45387.00 lakhs);

(iii) "National Urban Health Mission"- excess of ₹632.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1580.00 lakhs); and

(iv) "स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹6254.00 लाख का अधिक व्यय (₹38791.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(v) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹840.97 लाख का अधिक व्यय (₹5740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक सम्मेलन/सेमिनार कार्यशालाएं आयोजित किए जाने के कारण हुआ।

(ङ) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹201473.23 लाख का अधिक व्यय (₹1470952.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में);

(चा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹1762.26 लाख का अधिक व्यय (₹3705.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹8477.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹744.80 लाख का अधिक व्यय (₹22413.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वियन एजेंसियों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(iv) "Human Resource for Health and Medical Education"- excess of ₹6254.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38791.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/Schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(v) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY"- excess of ₹840.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5740.00 lakhs) was due to conduction of more conferences/ seminars/ workshops.

(e) "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Fund for transfer to National Investment Fund (NIF)" - excess of ₹201473.23 lakhs (against the supplementary provision of ₹1470952.00 lakhs);

(F) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Health Mission"- excess of ₹1762.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8477.00 lakhs including supplementary grant of ₹3705.00 lakhs); and

(b) "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Fund for transfer to National Investment Fund (NIF)" - excess of ₹744.80 lakhs (against the supplementary provision of ₹22413.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to receipt of more proposals from the State Governments/UTs/implementing agencies.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय ₹150.80 लाख हुआ, जो प्रत्येक प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 21 प्रतिशत तक था।

(II) Under two heads excess of ₹150.80 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 16 percent and 21 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹86917.80 लाख) हुईं जो जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹266162.00 लाख के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹86917.80 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grants of ₹266162.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 14 percent of total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	344106.00			
पू.	S.	248581.00	549512.69	527212.65	-22300.04
पु.	R.	-43174.31			
मुख्य शीर्ष "4211"	Major Head "4211"				
परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Family Welfare				
मू.	O.	2025.00			
पू.	S.	1.00	776.00	318.95	-457.05
पु.	R.	- 1250.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	4750.00			
पू.	S.	1000.00	2916.00	2593.60	-322.40
पु.	R.	-2834.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
पू.	S.	16580.00			
			3290.00	..	-3290.00
पु.	R.	-13290.00			

(I) ₹23326.00 लाख का प्रावधान (₹16581.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹23220.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹23326.00 lakhs (including supplementary grant of ₹16581.00 lakhs) remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹23220.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" – "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(A) Major Head "4210" - "Public Health - Other Programmes -

(क) "क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर" – ₹110.00 लाख – निविदाओं के निबंधन और शर्तों को पूरा न करने के कारण एक्स–रे मशीन की अधिप्राप्ति न होने की वजह से।

(a) "Regional Leprosy Training and Research Institute, Gauripur" - ₹110.00 lakhs - due to non-procurement of X-ray machine owing to non-fulfillment of terms and conditions of tenders.

(ख) "एनसीडीसी की मौजूदा शाखाओं का सुदृढ़ीकरण तथा 27 शाखाओं की स्थापना" – ₹4030.00 लाख – भूमि के अधिग्रहण न होने के कारण नई

(b) "Strengthening of existing branches and establishment of 27 branches of NCDC"- ₹4030.00 lakhs - due to delay in establishing of new NCDC branch owing to non-

एनसीडीसी शाखा की स्थापना में विलंब होने के कारण और झारखंड, अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं त्रिपुरा राज्य में चार नई शाखाओं द्वारा कम निधियो की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹2500.00 लाख – राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम को अनुमोदन न मिलने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" –

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – एम्स सरीखे अति–विशिष्ट अस्पताल–सह अध्यापन संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकारों के अस्पतालों का उन्नयन" – ₹13290.00 लाख का पूरक प्रावधान – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियाँ" – ₹3290.00 लाख का पूरक प्रावधान – एकीकृत वित्त प्रभाग द्वारा मंजूरियों को अनुमोदित न किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" – ₹287.56 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदाकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

acquisition of land and requirement of less funds by four new branches in the State of Jharkhand, Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh and Tripura.

(c) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - ₹2500.00 lakhs - due to non - approval of National Health Protection Scheme.

(B) Major Head "4552" -

(a) "Medical Education, Training and Research Allopathy - Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals"- supplementary provision of ₹13290.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) "Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Funds for transfer to National Investment Fund (NIF)" - supplementary provision of ₹3290.00 lakhs - due to non-approval of sanctions by Integrated Finance Division.

(II) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Urban Health Services" -

(a) "Direction and Administration - National Medical Library" - saving of ₹287.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-finalization of tendering process by Central Public Works Department.

(ख) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" ₹1051.04 लाख की बचत (₹4370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा कार्यों की धीमी गति के कारण हुई।

(ग) "चिकित्सा भंडार डिपो – जीएमएसडी में कोल्ड चेन सुविधाएं" – ₹474.66 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यों के प्राक्कलनों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "अस्पताल और औषधालय" –

(i) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹135.77 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के प्राकलनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) "केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची" – ₹3601.27 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थाई वित्त समिति द्वारा संस्थान के पुनर्विकास को अनुमोदन देने में विलंब के कारण हुई।

(iii) "अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई" – ₹889.09 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति तथा मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलंब और पुनर्विकास तथा पुनर्निर्माण कार्य के कारण हुई।

(b) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹1051.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4370.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals for procurement of motor vehicles, machinery and equipments and slow progress of works.

(c) "Medical Stores Depots - Cold Chain Facilities in GMSDs" - saving of ₹474.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-finalization of estimates of works and non-receipt of proposals from Central Public Works Department.

(d) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - saving of ₹135.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-finalization of estimates of work by Central Public Works Department.

(ii) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of ₹3601.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to delay in approval by Standing Finance Committee for re-development of Institute.

(iii) "All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai"- saving of ₹889.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to slow progress of work and delay in procurement of machinery and equipments and redevelopment and reconstruction work.

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी” –

(क) “लेडी हार्डिंग चिकित्सा कालेज और श्रीमती एस. के. अस्पताल” – ₹903.49 लाख की बचत (₹2340.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य के प्राक्कलनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹102.02 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया तथा उपकरणों के अधिष्ठापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) “राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹453.02 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब के कारण तंबाकू परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(घ) “एम्स सरीखे अति – विशिष्टता अस्पतालों – सह – शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकारी असपतालों का उन्नयन” – ₹38556.19 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹261001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम” –

(क) “क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, अस्का, उड़ीसा” – ₹323.80 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पीएमएमएसवाई के विभिन्न चरणों में सरकारी चिकित्सा कालेजों के उन्नयन के

(B) “Medical Education, Training and Research - Allopathy” -

(a) “Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital” - saving of ₹903.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2340.00 lakhs) was due to non-finalization of estimates of work by Central Public Works Department.

(b) “Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research” - saving of ₹102.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to non-finalization of tender process and installation of equipments.

(c) “National Tobacco Control Programme” - saving of ₹453.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipments for Tobacco testing Labs owing to procedural delays.

(d) “Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals” - saving of ₹38556.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹261001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(C) “Public Health - Other Programmes” -

(a) “Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Orissa” - saving of ₹323.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in construction and procurement related

लिए निर्माण तथा अधिप्राप्ति संबंधी कार्यकलापों में विलंब के कारण हुईं।

(ख) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" – ₹2130.69 लाख की बचत (₹5650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने तथा कार्य के निष्पादन की धीमा गति होने के कारण हुई।

(ग) "बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गुईंडी, चेन्नई" – ₹106.78 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेबल टाप लाइफोलिजर की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घ) "केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" – ₹541.28 लाख की बचत (₹595.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टॉफ कार की खरीद/अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव को मूर्त रूप न दिए जाने, मेसर्स एचएलएल द्वारा दावा प्रस्तुत न किए जाने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ङ) "राष्ट्रीय अंग प्रत्यर्पण कार्यक्रम" – ₹375.04 लाख की बचत (₹380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोटो/रोटो से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(च) "केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" – ₹17709.97 लाख की बचत (₹25026.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोलीदाताओं से कम प्रत्युत्तर मिलने के कारण अत्यधिक उन्नत उपकरणों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

activities for upgradation of Government medical colleges in various phases of PMMSY.

(b) "National Centre for Disease Control" - saving of ₹2130.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5650.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipments and slow progress in execution of works.

(c) "B.C.G Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹106.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to non-procurement of Table Top Lypholisor.

(d) "Central Research Institute, Kasauli"- saving of ₹541.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹595.00 lakhs) was due to non-materialization of proposal for purchase/procurement of staff car, non-submission of claim by M/s HLL and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(e) "National Organ Transplant Programme" - saving of ₹375.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹380.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from NOTTO/ ROTTO.

(f) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹17709.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25026.00 lakhs) was due to less procurement of highly sophisticated equipments owing to less response from bidders and slow pace of construction work by Central Public Works Department.

(छ) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन" – ₹283.32 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने में विलंब के कारण हुई।

(ज) "पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹717.31 लाख की बचत (₹735.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागरिक विमानन मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय से अनुमोदन न मिलने के कारण नए केंद्रों (पीओई) की स्थापना न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4211" – "अन्य व्यय – परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुम्बई" – ₹1681.05 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति तथा मौजूदा भवन की मरम्मत के लिए निविदा प्रक्रिया के पूरा न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची" – ₹592.14 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, रांची द्वारा कार्य की धीमी गति तथा रिहायशी क्वार्टरों के कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹2488.96 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति और उपकरणों की कम अधिप्राप्ति किए जाने की वजह से हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹129.91 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत और 99 प्रतिशत थीं।

(g) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" - saving of ₹283.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to delay in signing of MOU with executing agencies.

(h) "Port Health Authority" - saving of ₹717.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹735.00 lakhs) was due to non setting up of New Centres(POEs) owing to non-approval of M/o Civil Aviation and M/o Shipping.

(III) Under Major Head "4211" - "Other Expenditure - Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" - saving of ₹1681.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to slow progress of works by Central Public Works Department and non-completion of tender process for repair of existing building.

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - saving of ₹592.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to slow progress of work and non-execution of work of residential quarters by Central Public Works Department, Ranchi.

(B) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of ₹2488.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to slow progress of works by Central Public Works Department and less procurement of equipments.

(V) Under two heads savings of ₹129.91 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 22 percent and 99 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(I) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल और औषधालय – सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹8244.14 लाख का अधिक व्यय (₹27100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹44150.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपातकाल तथा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की कमीशनिंग के कारण हुआ।

(II) "चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹1964.70 लाख का अधिक व्यय (₹220480.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) निधि का अधिक अंतरण होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4210" - under the following heads:-

(I) "Urban Health Services - Hospitals and Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" - excess of ₹8244.14 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹44150.00 lakhs including supplementary grant of ₹27100.00 lakhs) was due to commissioning of Emergency and Super Speciality Block.

(II) "Medical Education Training and Research - Transfer to Reserve Fund/ Deposit Account - Fund for transfer to National Investment Fund (NIF)" - excess of ₹1964.70 lakhs (against the supplementary provision of ₹220480.00 lakhs) was due to more transfer to fund.